न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर

प्रकीर्ण वाद सं0– 72/2026

महबूब बनाम श्याम लाल आदि।

धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0

थाना– मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

27.05.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

2. प्रार्थी/आवेदक की ओर से विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी नंबर 1 की खेती की जमीन खसरा नंबर 153/2 व 153/4 रकबई 0.2118 हे0 ग्राम शाहपुर गाडा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर मे स्थित है। विपक्षी नंबर 2 ने प्रार्थिया व उसकी पत्नि मोमीना से कहा कि ग्राम शाहपुर गाडा मे श्यामलाल पुत्र कुन्दन अपनी जमीन बेच रहा है, जो काफी सस्ती है तथा इस जमीन मे मै भी साझीदार हूँ। विपक्षी नंबर 2 ने प्रार्थिया व उसकी पत्नि मोमीना की बातचीत विपक्षी नंबर 1 श्यामलाल से करायी और अपनी जमीन भी दिखायी। विपक्षी नंबर 1 श्यामलाल के साथ जमीन बेचने का सौदा प्रार्थिया व उसकी पत्नि के साथ विपक्षी नंबर 2 ने अंकन 5,15,000/–पांच लाख पन्द्रह हजार रूपये मे करवाया। प्रार्थिया की पत्नि मोमीना ने दिनांक 16.12.2024 को विक्रेता श्यामलाल पुत्र कुन्दन को अंकन 3,15,000/– तीन लाख पन्द्रह हजार रूपये दिये, जिसमे अंकन 2,00,000/– दो लाख रूपये प्रार्थिया के खाते से विपक्षी नंबर 1 श्यामलाल के खाते मे डलवाये गये तथा 1,15,000/– एक लाख पन्द्रह हजार रूपये रूबरू गवाहान कैश विपक्षी नंबर 2 पहल सिहं पुत्र ध्यान को दिये गये। शेष बकाया रकम 2,00,000/– दो लाख रूपये प्रार्थिया की पत्नि मोमीना को विपक्षीगण नंबर 1 व 2 को बवक्त बैनामा अदा करना था। बैनामा करने कराने की मियाद दिनांक 16.12.2024 से 2 वर्ष तय की गयी थी। चूंकि जमीन विपक्षी नंबर 1 श्यामलाल के नाम है, जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इसी कारण इस दोरान विपक्षीगण नंबर 1 व 2 की जिम्मेदारी जिलाधिकारी सहारनपुर के यहां से जमीन बेचने की प्रमीशन लेकर उसकी सूचना प्रार्थिया व उसकी पत्नि मोमीना को देने की थी ताकि समय अवधि के अन्दर बैनामा किया जा सके। इस बाबत एक इकरारनामा मुहायदा बय भी रूबरू गवाहान लिखा गया था। विपक्षीगण नंबर 1 ता 2 ने विपक्षी नंबर 3 के साथ साज करके धोखाधडी की नियत से उक्त जमीन का बैनामा विपक्षी नंबर 3 महेन्द्र पुत्र मितरू के नाम कर दिया। इस दोरान प्रार्थिया की पत्नि मोमीना की तबियत अचानक बिगड गयी और उसकी मृत्यु हो गयी। प्रार्थिया की पत्नि की मृत्यु के बाद जब भी प्रार्थिया ने विपक्षीगण नंबर 1 व 2 से उक्त जमीन के बैनामे की बात कहीं तो वह किसी न किसी बात को लेकर टाल मटोल करते रहे। प्रार्थिया जब किसी काम से बेहट तहसील मे गया तो प्रार्थिया को पता चला कि विपक्षीगण नंबर 1 व 2 ने आपस मे साज करके और नाजायज लाभ कमाने की नियत से प्रार्थिया को धोखा देते हुए उक्त भूमि का बैनामा विपक्षी नंबर 3 महेन्द्र के हक मे कर दिया है। प्रार्थिया ने जब विपक्षीगण से इस बाबत पूछताछ की तो विपक्षीगण नंबर 1 व 2 प्रार्थिया के साथ गाली गलौच करने लगे और लडाई झगडे पर उतारू हुए। इसी रंजिश मे दिनांक 12.04.2026 को विपक्षी नंबर 1 व 2 एक राय होकर प्रार्थिया के घर पर आये और मारपीट व झगडा किया प्रार्थिया से कहने लगे कि अब इस जमीन को भूल जा हम तुझे यह जमीन नही देगे और यदि कोई कार्यवाही की तो तुझे व तेरे लडको का अपहरण कराकर जान से मार देगें। प्रार्थिया ने इस सम्बन्ध मे थाने में शिकायत की, कोई कार्यवाही न होने पर वाकात का प्रार्थना पत्र टाईप कराकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के यहां दिनांक 23.04.2026 को बजरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित किया लेकिन आज तक भी प्रार्थिया की रिपोर्ट थाना हाजा पर दर्ज नही हुई। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जाँच कराये जाने की याचना की गयी।

3. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को

प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद तथा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. थाने से तलब विस्तृत आख्या भी पत्रावली पर संलग्न है।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्यतः कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने प्रार्थी बैनामा करने के एवज में पैसे लिए, किन्तु विपक्षी संख्या– 1 व 2 ने मिलकर विपक्षी संख्या–3 को उक्त तयशुदा संपत्ति का बैनामा कर दिया और उक्त घटना के संबंध में पूछताछ करने तथा अपने पैसे वापस मांगने पर विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ घटना कारित की। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वह सभी तथ्यों का स्वयं जानकार है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने केस को साबित कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ के निर्णय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए0सी0सी0 739** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा– 156(3) दं0प्र0संहिता {173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता} में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये जाने तथा विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो।

8. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **फादर थॉमस बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2002 (1) जे0आई0सी0 415 (इलाहबाद)** व **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद पूर्ण पीठ)** के निर्णय में दिये गये विधि सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थी उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी महबूब हसन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद में परिवर्तित किया जाता है।

प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा– 223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक 18.06.2026 को पेश हो।

(अभिषेक चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय,
सहारनपुर।
JO Code– UP3465